ायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

ार्थना–पत्र संख्या :–253 / 2022 दायर दिनांकः 31.10.2022

GCMS NO:- 2022/458 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

मुमताज बानो पत्नी मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान तेली नि0 मरां–

प्रार्थीया

बनाम

भू–स्वामी तहसीलदार साहब तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री रमेश कुमार कहार।

निर्णय दिनांक 22.04.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम फतेहपुरा पटवार हल्का मरां में खसरा नम्बर 477 / 277 रकबा 0.6472 हैक्टयर, खसरा नम्बर 480 / 277 रकबा 0.6472 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.2944 हैक्टयर स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड मे मुमताज बानो पत्नी मोहम्मद हुसैन हि0 पूर्ण जाति मुसलमान सा0 मरां खातेदार दर्ज है।

यह कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र मे उक्त भूमि पर पडोसीयों द्वारा कब्जा करने का अंदेशा होना तथा उक्त भूमि का सीमाज्ञान मय पुलिस इमदाद कराने का निवेदन किया। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र, नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये है।

प्रार्थना के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से पत्थरगढी के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीया के खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। साथ ही बताया कि उक्त भूमि का पूर्व मे सीमाज्ञान नही हुआ है एवं खातेदार ने कब्जा काश्त के रूप मे उक्त भूमि का उपभोग भी नही किया है तथा बिना सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाया जाना संभव नही है।

हमनें प्रार्थना पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज तथा तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदान नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है प्रार्थीया उक्त वर्णित भूमि की खातेदार तो है लेकिन उक्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त नही है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम फतेहपुरा पटवार हल्का मरां में खसरा नम्बर 477 / 277 रकबा 0.6472 हैक्टयर, खसरा नम्बर 480 / 277 रकबा 0.6472 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.2944 हैक्टयर भूमि का बाद सीमाज्ञान यदि प्रार्थीया को भूमि पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैंनवॉं